रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266530
CG-DL-E-29092025-266530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4266] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947
No. 4266] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4386(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि **उत्तर प्रदेश** राज्य के **महराजगंज** जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **NH-730S(महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी रोड**)के कि.मी. **0+000** से कि.मी. **40+140** कि.मी. तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् **उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं. सं.) महराजगंज,**को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **NH-730S (महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी रोड)** के कि.मी. **0+000** से कि.मी. **40+140** तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण |

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			**जिले का नाम: महराजगंज**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: निचलौल					
गांव का नाम: लोहरौली					
1	435	निजी	कृषि	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
2	436	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
3	437	निजी	कृषि	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
4	438	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
5	93	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	94	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
गांव का नाम: ठूठीबारी					
7	843k	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
8	866	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
9	867	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
तालुक का नाम: सदर महराजगंज					
गांव का नाम: सेन्दुरिया					
10	1345	निजी	कृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
11	1362	निजी	कृषि	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
गांव का नाम: हरिहरपुर					
12	1207	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034

13	150	निजी	कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
गांव का नाम: परसा गोबरही					
14	516	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
				Total	**0.294**

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730/2025-26/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2 / 4 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the **NH-730S** in the stretch of land from **K.m. 0+000** to **K.m. 40+140 (Maharajganj-Nichlaul-Thuthibari Road)** in the **District Maharajganj**, state of **UTTAR PRADESH**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Land Acquisition Officer (S.S.), Maharajganj** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this nitification are available and can be inspected by by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from K.m. **0+000** to K.m**. 40+140** (Maharajganj-Nichlaul-Thuthibari Road) of NH-730S in the state of **UTTAR PRADESH**

State: UTTAR PRADESH			**District: MAHARAJGANJ**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Nichlaul					
Village: Lohrauli					
1	435	Private	Agriculture	0.027 (Hectare)	0.027
2	436	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
3	437	Private	Agriculture	0.009 (Hectare)	0.009
4	438	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
5	93	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
6	94	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012

Village: Thuthibari					
7	843k	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
8	866	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
9	867	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Taluk: Sadar Maharajganj					
Village: Senduria					
10	1345	Private	Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
11	1362	Private	Agriculture	0.067 (Hectare)	0.067
Village: Hariharpur					
12	1207	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
13	150	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
Village: Parsa Gobarhi					
14	516	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
				Total	**0.294**

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730/2025-26/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.